मैनुअल–3

विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

1. शपथ विधि समारोहः–

मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल सदस्यों का शपथ विधि समारोह राजभवन अथवा महामहिम की इच्छानुसार अन्य स्थल पर आयाजित किया जाता है।

समारोह में आमंत्रण पत्र राजभवन से समन्वय स्थापित कर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही जारी किये जाते हैं, जिसमें राजभवन द्वारा निम्न व्यवस्थायें की जाती हैंः–
सचिवालय प्रशासन विभाग से यह ज्ञात किया जाता है कि वे उक्त समारोह में कितने व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं।

आमंत्रितों को निश्चित स्थल पर बैठाने का दायित्व सचिवालय प्रशासन के अधिकारी, जिला प्रशासन तथा मंत्री परिषद (गोपन) द्वारा नियुक्त सचिवालय के अधिकारी का होता है। राजभवन के अधिकारियों द्वारा भी इसमें सहयोग दिया जाता है।

मुख्यमंत्री के शपथ की स्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय जुलूस के रूप में समारोह स्थल पर आते हैं। आगे एक जमादार दण्ड लिये हुए उसके पीछे दो चोबदार मध्य में महामहिम राज्यपाल तथा दोनों ओर परिसहाय, पीछे मुख्य सचिव, राज्यपाल के सचिव रहते हैं। स्थल पर महामहिम के स्टेज पर आसन ग्रहण के उपरान्त मुख्य सचिव द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति ली जाती है एवं महामहिम से शपथ दिलाने की प्रार्थना की जाती है। महामहिम द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। शपथ के उपरांत मुख्यमंत्री शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। कार्यक्रम का प्रारम्भ व समापन राष्ट्रगान से होता है।

मंत्रिमंडल की शपथ विधि समारोह की प्रक्रिया भी लगभग समान ही है। मंच पर महामहिम के आसीन होने के उपरांत मुख्य सचिव द्वारा राज्यपाल महोदय से कार्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति व शपथ दिलाने की प्रार्थना करते हैं। तदुपरांत मंत्रिमंडल के सदस्यों को सामूहिक शपथ अथवा उपयुक्त संख्या के समूह में शपथ दिलायी जाती है। सम्पूर्ण सदस्यों को शपथ दिलाने के पश्चात स्वल्पाहार की व्यवस्था राजभवन की ओर से होती है।

2. उत्तराखण्ड के प्रधान न्यायाधीश/लोकायुक्त/ प्रोटेम स्पीकर/ आयोगों के अध्यक्ष के शपथ विधि समारोह :–

उत्तरांचल के मुख्य न्यायाधीश/लोकायुक्त/प्रोटेम स्पीकर/आयोगों के अध्यक्ष के शपथ विधि समारोह महामहिम के ऑफिस लॉन/दरबार हाल/सभागार में स्थिति अनुसार आयोजित किये जाते हैं। इन सभी आयोजनों में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारी को शपथ दिलाई जाती है। जिसकी प्रक्रिया मंत्रिमंडल के शपथ विधि के अनुसार ही परन्तु संक्षिप्त रूप से होती है। शपथ विधि के उपरांत स्वल्पाहार राजभवन की ओर से होता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नमूना

प्रिय श्री.....

आप उत्तराखण्ड विधान सभा में .....के नेता चुने गए हैं, जिसके लिए मेरी हार्दिक बधाई।

विधान सभा में बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता के नाते मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्देद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ तथा मंत्रीमंडल का गठन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

(.....)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

श्री.....
.....

मंत्री की नियुक्ति का नमूना

प्रति,

.....
.....

महोदय,

मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर आपको उत्तराखण्ड शासन में मंत्री नियुक्त करते हुए मुझे बहुत खुशी है। शपथ ग्रहण दिनांक.....को.....राजभवन में .....बजे होगा। कृपया पत्र की पावती भेजें।

(.....)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

राज्य मंत्री की नियुक्ति का नमूना

प्रति,

.....
.....

महोदय,

मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर आपको उत्तराखण्ड शासन में राज्य मंत्री नियुक्त करते हुए मुझे बहुत खुशी है। शपथ ग्रहण दिनांक.....को.....राजभवन में .....बजे होगा।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

(.....)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड